सं0-28/2018/1039/62-2-2018-2/3(26)/2018

प्रेषक,

जुहैर बिन सगीर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
लघु सिंचाई सम्बन्धित प्रखण्ड।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ: - दिनांक- 17 मई, 2018

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 (एस0सी0एस0पी0) के अधीन ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग चेकडैमों के निर्माण (जिला योजना) में प्राविधातिन धनराशि का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के पत्र संख्या-2363/ ल0सिं0/बजट-एस0सी0पी0/टी0एस0पी0/2018-19, दिनांक 12.03.2018 व पत्र संख्या-जी- 208/ल0सि0/बजट-3/2018-19 दिनांक 03.04.2018 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग चेकडैमों के निर्माण में प्राविधानित धनराशि रू0-500.00 लाख (रू0- पांच करोड़ मात्र) को संलग्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना में ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग चेकडैमों के निर्माण पर व्यय हेतु है। अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय।

(2) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय संबंधित शासनादेशों तथा शासन के अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

(3) आपको पुन: स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(4) चेकडैम निर्माण का कार्य 16 प्रतिशत धनराशि मनरेगा से डबटेल करके ही की जायेगी तथा कोई भी चेकडैम निर्माण कार्य बिना मनरेगा से डबटेल किये नहीं की जायेगी।

(5) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल के ऊपर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से शासन को दी जायेगी।

(6) प्रश्नगत योजना में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियों विभागों द्वारा गत वित्तीय वर्ष/विभागीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए जनपदवार फॉट तैयार करते हुए इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही हैं कि यथासमय जिला सेक्टर योजनाओं के लिए जनपदवार/योजनावार परिव्यय के निर्धारण के बाद आवश्यकतानुसार समायोजन करते हुए संशोधित की जा सकती हैं। उक्त के अतिरिक्त विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत जनपद विशेष के लिए स्वीकृत धनराशि से भिन्न परिव्यय जनपद विशेष में आता है तो तदनुसार यथासमय स्वीकृतियाँ संशोधित कर ली जायेंगी।

(7) इस योजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि से राज्य भूजल संरक्षण मिशन से सम्बन्धित जनपदों में मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में चयनित विकास खण्डों में ही चेकडैम निर्माण किया जायेगा तथा अन्य जनपदों में केवल अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खण्डों में चेकडैम निर्माण किया जायेगा। यदि किसी जनपद में अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकास खण्ड ना हों और किसी अन्य स्थल पर चेकडैम की आवश्यकता एवं उपयोगिता हो तो विशेष परिस्थितियां इंगित करते हुए प्रस्ताव तैयार किया जायेगा । क्षेत्र विशेष का चिन्हांकन करते हुए हर जनपद द्वारा इस वर्ष चयनित क्षेत्रों का विस्तृत विवरण एवं मनरेगा से डबटेलिंग का प्रमाण देते हुए जिला स्तरीय तकनीकी समन्वयन समिति के अनुमोदनोपरान्त जनपद की कार्य योजना तैयार करके अधीक्षण अभियन्ता को 31 मई, 2018 तक प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें गत वर्षो में विभाग द्वारा अब तक उस जनपद में चेकडैम निर्माण के कार्यों का विवरण भी संलग्न किया जायेगा। इस सम्बन्ध में भी सुनिश्चित/पुष्टि किया जायेगा कि लघु सिंचाई विभाग द्वारा चिन्हांकित क्षेत्र विशेष में अन्य विभागों द्वारा ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग/चेकडैम निर्माण योजना संचालित नहीं है। हर अधीक्षण अभियन्ता अपने वृत्त के सभी जनपदों की कार्य योजनाओं को संकलित करके मुख्यालय को 05 जून तक भेजेगें। मुख्यालय द्वारा शासन को जनपदों की कार्य योजना अपनी आख्या/संस्तुति सहित 08 जून तक प्रेषित की जायेगी तथा शासन की स्वीकृत के उपरान्त क्षेत्र में कार्य किये जायेंगे।

(8) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किये गये व्यय निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निर्धारित रूपपत्रों में मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग को निश्चित रूप से कराये जायें।

1-	मासिक व्यय विवरण	आगामी माह की 05 तारीख तक
2-	प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण	15-10-2018 तक
3-	व्ययाधिक्य तथा बचत का अंतिम विवरण्	15-12-2018 तक
4-	वर्ष 2018-19 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो	15-02-2019 तक
5-	आवंटन का समर्पण	15-03-2019 तक

नोट:- दिनांक 15-03-2019 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- तत्सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत अनुदान सं0-83 के अधीन "लेखा शीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूजित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-06-लघु सिंचाई के अन्तर्गत ग्राउण्ड वाटर चार्जिग चेकडैमों का निर्माण (जिला योजना)-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1/2018/बी-01-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक:यथोक्त</u>

भवदीय,

(जुहैर बिन सगीर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सं0-28/2018/1039(1)/62-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
5- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
7- सम्बन्धित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
8- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
9- नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
12- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
13- एन0आई0सी0 की प्रति।
14- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
15- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकार, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विभाकर द्विवेदी)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सं0-28/2018/1039/62-2-2018-2/3(26)/2018,दिनांक 17 मई ,2018 का संलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत अनुदान सं0-83 के अधीन "लेखा शीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूजित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-06-लघु सिंचाई योजना अन्तर्गत ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग चेकडैमों का निर्माण-(जिला योजना)-24-वृहद निर्माण कार्य" में अवमुक्त की जा रही धनराशि का विवरण।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद	गत वर्ष 2017-18 में नियोजन विभाग द्वारा सूचित परिव्यय	अतिरिक्त परिव्यय	कुल योग	बजट प्राविधान	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	फिरोजाबाद	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2	हाथरस	30.00		30.00	25.00	25.00
3	इटावा	50.00		50.00	25.00	25.00
4	औरैया	42.00		42.00	25.00	25.00
5	फर्रूखाबाद	150.00		150.00	50.00	50.00
6	कन्नौज	100.00		100.00	75.00	75.00
7	इलाहाबाद	51.00		51.00	25.00	25.00
8	कौशाम्बी	50.00		50.00	25.00	25.00
9	फतेहपुर	45.00		45.00	25.00	25.00
10	प्रतापगढ	80.00		80.00	25.00	25.00
11	सोनभद्र	300.00		300.00	50.00	50.00
12	जालौन	5.00		5.00	0.00	0.00
13	ललितपुर	25.00		25.00	25.00	25.00
14	महोबा	75.00		75.00	25.00	25.00
15	बांदा	60.00		60.00	25.00	25.00
16	चित्रकूट	50.00		50.00	25.00	25.00
	योग:-	1113.00	50.00	1163.00	500.00	500.00

(रूपया- पांच करोड़ मात्र)

(विभाकर द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in